

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी – सीता शर्मा आर.ए.एस

मैनुयल केस न :- RS/2013/31

पोर्टल केस न :- 2013/00139

1. जीनता पत्नि जाकिर हुसैन जाति मुसलमान साकिन केलां तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर
2. कनीजा पत्नी कालूखां जाति मुसलमान साकिन नापासरिया तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर
3. हारूनखां पिसरान मांझीखां जाति मुसलमान साकिन नापासरिया तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शरीफा
4. असलम पिसरान मांझीखां जाति मुसलमान साकिन नापासरिया तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शरीफा

प्रार्थी

बनाम

1. यासीन पुत्र शरूखां जाति मुसलमान साकिन केलां तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व छतरगढ़
3. मकचुला बेवा ताजूखां जाति मुसलमान साकिन केलां तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर। औपचारिक पक्षकार

अप्रार्थी

वद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी ए व 136 एल आर एक्ट

उपस्थित – वादी वकील एवं वादी स्वयं अनुपस्थित

**निर्णय**

दिनांक:-

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगवाई गई। वादी वकील व वादी स्वयं कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली इसी स्तर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायरा नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छतरगढ़(बीकानेर)

